

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## आज्ञा

कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) सं.प.अ. / 164 / 2021


दिनांक 20.10.2021

श्रीमती नीतू आर्य (RJ0447), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सोजत (पाली) को दिनांक 21.10.2021 से 04.12.2021 तक 45 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) स्वीकृत किया जाता है।

डॉ. मनीषा चौधरी (RJ0450), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली को श्रीमती नीतू आर्य के उक्त अवकाश की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सोजत (पाली) के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित/नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:—

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. डॉ. मनीषा चौधरी (RJ0450), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली अति. कार्यभार वाले न्यायालय में अनुकल्पिक सप्ताह (Alternate week) कम से कम तीन दिन (At least for three days in alternate week) कैम्प कोर्ट करेंगे।

आज्ञा से,


  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 20.10.2021

कमांक:—स्था.बी.2 (4)/80/2002/ 6452

दिनांक :20.10.2021

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली को उनके पत्रांक 3089 दिनांक 11.10.2021 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती नीतू आर्य (RJ0447), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सोजत (पाली)।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सोजत (पाली)।
5. डॉ. मनीषा चौधरी (RJ0450), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली।
6. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ. न्या., जोधपुर।

  
सहायक रजिस्ट्रार